न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1104/2002/अजमेर

मांगू उर्फ मांगीलाल पत्र बीजा (मृतक) के बजाय
1 उमरावसिंह पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल जाट
2 हीरासिंह पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल जाट
3 श्रीमती सुगनी देवी पत्नी मांगू उर्फ मांगीलाल सभी निवासी तेजा चौक रूपनगढ रोड मदनगंज किशनगढ
4 श्रीमती राजूदेवी पुत्री मांगू पत्नी सुरेश कुमार
5 श्रीमती जितूदेवी पुत्री मांगू पत्नी बलबीरसिंह
6 श्रीमती संतोषदेवी पुत्री मांगू पत्नी राजकुमार सभी जाति जाट निवासी सरदार सिंह ढाणी किशनगढ तहसील किशनगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

1 रघुनाथ पुत्र तेजूमल यादव (फौत) जरिये वारिसान
1/1 श्रीमती हगामी पत्नी रघुनाथ
1/2 अनिल पुत्र रघुनाथ
1/3 अनिता पुत्री रघुनाथ सभी जाति यादव निवासी भाट मौहल्ला मदनगंज किशनगढ
2 गणेश पुत्र तेजूमल यादव (फौत) जरिये वारिसान
2/1 श्रीमती कमला पत्नी गणेश
2/2 रूपा पुत्र गणेश
2/3 हेमु पुत्र गणेश
2/4 रेणु पुत्री गणेश सभी जाति अहीर निवासी उटडा फाटक के पास दाधीच कालोनी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ
3 राजस्थान सरकार
4 जगदीश पुत्र पूरण जाट निवासी भाटों का मोहल्ला मदनगंज किशनगढ
5 भैरू पुत्र जोधा मृतक नाम तर्क किया
6 मुकना पुत्र भूरा बलाई निवासी राजाखेडी मदनगंज किशनगढ

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः
श्री सी.पी.शर्मा वकील अपीलार्थीगण
श्री अजीतसिंह राठौड वकील प्रत्यर्थी संख्या 1,2

निर्णय

दिनांकः.19.11.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 67/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2. 2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी मृतक मांगू ने एक वाद अधिनियम की धारा 188, 183 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावंतसर की आराजी खसरा नम्बर 414/1 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा एकीकरण संया 414 जिसके सेटलमेन्ट नम्बर 678, 679 हैं, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वर्तमान प्रत्यर्थी संया 1, 2 इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। भूमि की उत्तरी पूर्वी सीमा 413 व 475 से मिलती है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.3.2001 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 11.2.2002 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 414/1 रकबआ 10 बीध्झा 2 बिस्वा भूमि वादी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर लिया जिस पर ही वादी अपीलार्थी ने धारा 183 अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया। अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने से प्रतिवादी प्रत्यर्थी अतिक्रमी है जिसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस भेजे थे परन्तु वे बावजूद सूचना समय पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में उनके द्वारा आदेश 9 नियम 7 सी.पी.

सी. का प्रार्थना पत्र दिया गया जो भी खारिज हो गया जिसकी कोई निगरानी आदि नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट है कि निर्णय व कार्यवाही की प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण जानकारी थी जिससे अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई थी एवं देरी का समुचित कारण नहीं बताया गया है। वादी अपीलार्थी सम्पूर्ण 10 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार है। कुछ भूमि का विक्रय कर दिये जाने से क्रेता सह खातेदार हो गये एवं एक सह खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय दिया है जो अनुचित है। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के खातेदारी की है एवं प्रतिवादी प्रत्यर्थी अतिक्रमी है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वारिसान ने अपनी बहस में कहा कि सम्वत 2010 से 2011 तक विवादित आराजियात के खसरा संख्या 680 थे तथा सम्वत 2012 में इसके दो भाग यथा 680/1 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा तथा 680/2 के रकबा 4 बीघा कायम हुए, जिनमें खसरा संख्या 680 के खातेदार सम्वत 2012 से 2014 तक अपीलांट के पिता तेजमल पुत्र सेडूराम रहे है तत्पश्चात उपरोक्त साबिक नम्बरों के नये खसरा नम्बर बनाये जिनके अनुसार आराजी खसरा संख्या 680/1 की भूमि को नये खसरा संख्या 415 अंकित किए गए एवं नक्शा टेस में अपीलांट की भूमि को 680/2 के स्थान पर दर्शाकर नये खसरा नम्बर 413 अंकित कर दिये जो बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने बंदोबस्त नक्शा टेस एवं नये खसरा नम्बर अंकित करते समय की गई गलती का परिणाम है जो अपीलांट के अधिकार एवं स्वत्व पर बेअसर अर्थात अपीलांट आज भी साबिक खसरा संख्या 680/1 की भूमि पर ही काबिज काश्त चले आ रहे है। कब्जा पुराना है तथा साअधिकार है। वादी स्वयं कहता है कि 413 की सीमा मिलती है जबकि प्रदर्श–4 में मिलती नहीं दर्शाई है। पैमाईश गलत है। किसी भी खसरे की हद चारों तरफ से तय होनी चाहिए तभी मुकम्मल मानी जा सकती है। गलत नक्शा बनने या त्रुटिपूर्ण पैमाईश करने से आसामी के विधिपूर्ण अधिकार समाप्त होकर वह अतिक्रमी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी की फोटो प्रति सम्वत 2049 से 2052 की है। जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 740 दिनांक 28–11–1995 से दस बिस्वा 752 दिनांक 15–1–1990 से 2 बीघा दस बिस्वा तथा 755 दिनांक 15–1–1996 से 2 बीघा दस बिस्वा इस तरह से कुल पांच बीघा दस बिस्वा विक्रय हुई। इससे पूर्व भी नामान्तरकरण संख्या 722, 726, 727, 728, 729 भी विक्रय के हुए है। इससे वादी का इंकार नहीं है तथा चार बीघा 18 बिस्वा अवाप्त हो गई, इस तरह से अब कोई रकबा शेष नहीं रहा है, वादी का कोई कब्जा नहीं है।

वाद चल ही नहीं सकता था। प्रथम अपील का निर्णय सही है यह द्वितीय अपील खारिज की जावें।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वारिसान ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थी ने तथ्यों को छीपाकर वाद पेश किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 414/1 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा18 बिस्वा भूमि परिवहन मंत्रालय द्वारा अवाप्त कर ली गई है एवं इस खसरा नम्बर के मध्य में से सडक निकाली हुई है। खसरा नम्बर 414/1 के दो भाग है। इसमें से 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दी गई है। परन्तु उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी ने स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण का पुराना कब्जा है जिन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप होने से यह अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय ने वादी अपीलार्थी को विवादित भूमि का खातेदार होना तथा 8 बीधा12 बिस्वा पर वादी का कब्जा एवं 1 बीघा10 बिस्वा पर प्रतिवादी का कब्जा होना मानकर प्रतिवादी से कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी को डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित भूमि के कुछ भाग को विक्रय कर दिये जाने व क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा मौका रिपोर्ट अस्पष्ट होने एवं विवादित भूमि के मध्य से सडक निकलने के तथ्यों को वादी द्वारा वाद में नहीं बताये जाने से एवं धारा 183 वाद में तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाने से वादी का वाद खारिज किया है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2042 में विवादित भूमि मांगू पिता बींजा जाट के खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 5 नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 15.7.87 के अनुसार खसरा नम्बर 414 की डेढ बीघा भूमि कम है जो खसरा नम्बर 415/3 जो कि सरोज कवंर, रामगोपाल, सत्यनारायण के नाम दर्ज है में मिला हुआ है जिस पर खसरा नम्बर 413 के खातेदार काबिज हैं। वादी द्वारा वाद में उक्त व्यक्तियों सरोज कवंर, रामगोपाल वगैरा को खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार भी यह उल्लेख नहीं करती है कि कब्जा कब से है। रेस्पोडेंट का कथन है वह प्रारम्भ से ही यहां काबिज है। पैमाईश त्रुटि व सेटलमेंट की त्रुटि से खातेदारी समाप्त होना व स्वतः वहां से बेदखल होना नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के इस कथन के खण्डन स्वरूप वादी/रेस्पोडेन्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में सप्रमाण कथन प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अस्पष्ट कथनों के साथ प्रस्तुत वाद के आधार पर बेदखली व निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं रहता है।

9. जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारी मांगू द्वारा उक्त आराजी में से 2 बीधा भूमि का विक्रय संजय कुमार के पक्ष मेंकरने से नामान्तरकरण संख्या 722 स्वीकार हुआ। इसी खसरा नम्बर में से 2 बीघा 10 बिस्वा का विक्रय बालमुकन्द के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 727 व अन्य बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 728, 729, 740, 752,755 आदि स्वीकृत हुये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 414/1 रकबा 10 बीधा2 बिस्वा में से वादी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भूमि का बेचान किया गया है परन्तु दावा सम्पूर्ण 10 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जबकि क्रेतागण को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा इस संबंध में स्पष्ट कथन भी नही किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 414/1 का सम्पूर्ण 10 बीधा 2 बिस्वा बाबत विवादित भूमि भूमि वादी के कब्जे काश्त नहीं है तथा प्रतिवादी का कब्जा कब से है एवं किस तरह किस तरह/आधार से है, स्पष्ट नहीं किया है। वादी साबिक नम्बरों का अंकन तो करता है पर हाल साबिक में विसंगति/साम्यता का कथन नहीं कर अस्पष्ट कथन करता है। वादी ने वाद में उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है। वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर एवं अपूर्ण वाद पेश किया गया है। विवादित भूमि सम्पूर्ण पर वादी का कब्जा काश्त भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 11.2. 2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष